भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 411

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

सीमेंट कामगारों को सुविधाएं

***411. सुश्री दिया कुमारी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सीमेंट कंपनियों के कर्मचारियों के लिये वेतन एवं सुविधाओं के संबंध में क्या मानदंड/मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को सीमेंट कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण किये जाने से संबंधित समस्या की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान राज्य में अवस्थित सीमेंट कंपनियों में नियमित आधार पर कार्यरत ठेका कामगारों तथा कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को अजमेर तथा पाली जिलों में कार्यरत कामगारों की मजदूरी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में व्याप्त असमानताओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*   ****

सीमेंट कामगारों को सुविधाओं के संबंध में सुश्री दिया कुमारी द्वारा दिनांक 22.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 411 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सीमेंट कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते मैनेजमेंट ऑफ सीमेंट मेन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन और आईएनसीडब्ल्यूएफ (आईएनटीयूसी), एबीसीएमएस (बीएमएस), एआईसीडब्ल्यूएफ (एआईटीयूसी), एआईसीईएफ (एचएमएस), एनसीसी ऑफ सीमेंट यूनियन्स (आईसीआईटीयू), सीडब्ल्यूपीयूफ (एलपीएफ) के प्रतिनिधित्व में सीमेंट कर्मकारों के बीच सुलह अधिकारी और मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) की उपस्थिति में दिनांक 20.02.2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमेंट कारखानों के कर्मचारियों सहित कर्मचारी विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत यथा उपलब्ध प्रसुविधाओं का लाभ उठाएं, मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) {सीएलसी(सी)} के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) केंद्रीय क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करता है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा 2019-20 में सीआईआरएम द्वारा सीमेंट कंपनियों के प्रतिष्ठानों सहित प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जून, 2019 तक)
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	8843	8490	8577	1474
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	89296	97779	87928	16843
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	68808	68716	45121	11558
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3168	3538	3227	778
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2266	2583	1372	177

(घ): राजस्थान राज्य में नियमित और ठेका कामगारों की संख्या इस प्रकार है:-

ठेका कामगार : 27487

नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारी : 9724

(ङ): अजमेर और पाली जिलों में सीमेंट कंपनियों के नियमित कामगारों को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन दिया जा रहा है तथा अन्य कामगारों को राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत व्याप्त सीमेंट कंपनियों के कामगार चिकित्सा और नकद प्रसुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

****